

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234774
SG-DL-E-01042022-234774

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 593
No. 222]	DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 593

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय, पंजीयक सहकारी सोसायटीज
अधिसूचना

दिल्ली, 29 मार्च, 2022

फा. सं. 47/नीति/06/2020/42.—दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कोविड-19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा-निर्देशों स्थिति और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाता है कि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 अधिनियम की धारा 35 में निहित, चुनाव से संबंधित और समिति के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किये जाते हैं:-

“उन सभी सहकारी समितियों के मामले में, जहां सहकारी समिति का कार्यकाल 01 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 के बीच समाप्त हो चुका है और जहां अब तक सहकारी समितियों की नई समिति के चुनाव नहीं हो सके हैं, इन सहकारी समितियों का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
डॉ. टी. फिलिप थंग्लियनमांग, विशेष पंजीयक

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES**NOTIFICATION**

Delhi, the 29th March, 2022

F. No. 47/Policy/06/2020/42.—In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained in force on account of Covid-19 situation, hereby order that the provisions relating to election of the term of office of elected members of the committee as contained in Section 35 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003; shall apply to all the cooperative societies registered with the Registrar Cooperative Societies, Delhi with following modification:-

“In all cases where the tenure of the Committee expires between 01th January, 2022 to 28th Feb, 2022 and where elections of the new committee of the society could not be conducted so far, the Committee shall arrange election of the new committee by 30th April, 2022 and the tenure of the Committee of these societies would accordingly stand extended till the election of the new committee.”

By Order and in the Name of The Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

Dr. T. PHILIP THANGLIENMANG, Spl. Registrar